न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

उम्मेद सिंह बनाम जीवण सिंह व अन्य
किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या –: 333/2024 (पुष्कर)

	श्री मदनपुरी गोस्वामी एडवोकेट	
	उम्मेदसिंह वगैरह बनाम जीवणसिंह व अन्य (2024/333)	
26.12.2024	यह अपील श्री मदनपुरी गोस्वामी एड़वोकेट ने विद्वान विद्धान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 61/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनिमय पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर बिना प्रार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पाबंद कर दिया तत्पतश्चात प्रार्थीगण के उपस्थित होने पर भी उक्त स्थगन आदेश को आज दिनांक तक प्रभावी रखे हुए है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता की कानूनी सलाह के आधार पर उक्त अपील को मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात भी प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किये जाने से केवल न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के विकल्प होने के कारण यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना–पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन प्रार्थना–पत्र में देरी के सद्भाविक कारण होने से न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्तश्चात् अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा वाद प्रस्तुत किए जाने एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण/अपीलांटस को नोटिस जारी कर आगामी पेशी दिनांक 19.12.2022 नियत की गयी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियम पेशी दिनांक 19.12.2022 से पूर्व ही प्रकरण में दिनांक 05.12.2022 को स्थगन आदेश पर एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता दिनांक 18.1.2023 को उपस्थित हो गए तथा प्रकरण में पुनः सुनवाई किए जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई नही कर	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

शेष अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किऐ जाने के आदेश प्रदान कर दिये तत्पश्चात प्रकरण दिनांक 01.03.2023 से 20.09.2023 तक इंतजार तामीली रिपोर्ट में विचाराधीन रहा तत्पश्चात दिनांक 20.09.2023 को पुनः अपीलांटस अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे अन्तरिम स्थगन आदेश पर सुनवाई हेतु निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुछ प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस की एक पक्षीय कार्यवाही कर शेष पक्षकारान की तामीली हेतु प्रकरण को आगामी पेशी में नियत कर दिया। तत्पश्चात प्रकरण दिनांक 01.11.2023 से आज दिनांक तक शेष अप्रार्थीगण की तामीली में ही विचाराधीन हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायाल7य अपने ही आदेश दिनांक 05.12.2022 ::अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण का अनिवार्यतः बहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावें।'' की पालना में स्थगन आदेश को निरस्त नहींकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 को स्थगन का अनुचित लाभ प्रदान करने में जो अनियमितता की है। जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार एक पक्षीय आदेश पारित होने पर उस आदेश का अन्तर्गत आदेश 39 नियम 3क के प्रावधानों के माफिक 30 दिन के भीतर–भीतर निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के आदेश दिनांक 05.12.2022 की पालना नहीं कर रहे तथा जाप्ता दीवानी के उक्त प्रावधान की पालना नहीं की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की आड़ में अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी उत्पन्न कर रहे है तथा प्रार्थीगा को वादग्रस्त आराजीयात से मिलने वाले सरकारी परिलाभो से वंचति करने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गए तो प्रार्थीगण अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह तथ्य सामने आता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 05.12.2022 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण थे द्वारा दिनांक 18.01.2023 को वकालतनामा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का निवेदन किया गया किन्तु फिर भी प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनवाई नही की गई। जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार एक पक्षीय आदेश पारित होने पर उस आदेश का अन्तर्गत आदेश 39 नियम 3क के प्रावधानों के माफिक 30 दिन के भीतर–भीतर निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधि0 का निस्तारण नही कर प्रकरण को लम्बित किया हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय को भी प्रकरण को शीघ्र निस्तारण करने हेतु प्रयास करना चाहिए अन्यथा अपूर्णीय क्षति तो अप्रार्थीगण को ही होनी है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,पुष्कर के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

उम्मेद सिंह बनाम जीवण सिंह व अन्य

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या –: 333/2024 (पुष्कर)

श्री भरतपुरी गोस्वामी

लगातार	से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर निर्णित करें।
	अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।
	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner